राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1329-83 दिनांक : 12-06-2015

बैठक कार्यवाही विवरण

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 को 11:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :–

- श्री पुरूषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/ प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :–
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
  - क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, अलवर
  - उप नगर नियोजक, उदयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर),
  - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
  - सहायक नगर नियोजक, जोधपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर)

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	97
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	85
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने	11
04.	निगरानी अपील का निस्तारण	1

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 29.12.2014 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत् चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की इस बैठक में प्रथम बार भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण जी.आई.एस. तकनीक के माध्यम से ऑनलाईन सैटेलाईट ईमेज पर मास्टर प्लान व आवेदित स्थल को सुपर इम्पोज कर किया जा रहा है, ताकि मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके। साथ ही सभी नगर पालिकाओं के अधिकारियों को इस तकनीक को अपनाने/सीखने पर जोर दिया गया। समिति द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु निम्नानुसार नगरीय निकायों को सामान्य निर्देश प्रदान किये गये कि:–

(i) सभी नगरीय निकायों में लम्बित भू–उपयोग परिवर्तन तथा भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं द्वितीय बुधवार को स्थानीय स्तर पर बैठक का आयोजन सुनिश्चित् किया जावे एवं इन दिवसों में अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस पर इस बैठक का आयोजन किया जावे, ताकि आम नागरिको के कार्यों के निस्तारण के साथ–साथ नगरीय निकायों की राजस्व आय में भी वृद्धि हो सके। सप्ताह में स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित की जावेगी।

(ii) राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक प्रत्येक माह में की जावेगी।

(iii) भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन शुल्क का प्रावधान तो है, किन्तु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः इस हेतु पृथक से प्रस्ताव तैयार किया जावे।

(iv) समस्त नगरीय क्षेत्रों हेतु बनाये गये मास्टर प्लान क्षेत्र का सैक्टर प्लान तैयार किया जावे विशेषतया परिधि नियंत्रण क्षेत्र में सैक्टर रोड नैटवर्क प्लान बनाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं समिति में लिये गये निर्णयों के तहत् प्रस्तावित सड़को की मौके पर पालना सुनिश्चित् की जावे।

(v) समस्त आवासीय/शैक्षणिक/औद्योगिक उपयोग में ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज निस्तारण एवं वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट व रीसाइकलिंग की व्यवस्था व आगन्तुको हेतु शौचालय की निर्माण की पालना सुनिश्चित् की जावेगी साथ ही बायो – टॉयलेट, एल.ई.डी., लाईटिंग एवं सोलर लाईटिंग के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जावेगा।

(vi) नयी विकसित होने वाली आवासीय योजनाओं के सड़को पर पैदल चलने वालो हेतु फुटपाथ व साईकिल ट्रेक की व्यवस्था सुनिश्चित् की जावेगी।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण संलग्न है। उक्त कार्यवाही विवरण राज्य सरकार से अनुमोदित है।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1329-83 दिनांक : 12-6-2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन, संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14//1329-83 दिनांक : 12-06-2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं उप नगर नियोजक अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, दौसा, गंगापुरसिटी, बून्दी, पाली, राजसमंद एवं डूंगरपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), रावतसर, रायसिंह नगर, रतनगढ़, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सादडी (पाली), सोजत, बेगूं, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबंगा, निम्बाहेडा, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, नीम का थाना, विराटनगर, मुकुन्दगढ़, फुलेरा, भीनमाल, सुमेरपुर, बिलाड़ा, मांगरोल, भीण्डर, आमेट, बड़ी सादड़ी, सांभर लेक, राजगढ़ (चुरू), परबतसर, खैरथल एवं कपासन।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1331-1338 दिनांक : 15/6/15

वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अजमेर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषयः–नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

15/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1339-1389 दिनांक : 15/6/15
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं उप नगर नियोजक अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, दौसा, गंगापुरसिटी, बून्दी, पाली, राजसमंद एवं डूंगरपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), रावतसर, रायसिंह नगर, रतनगढ़, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सादडी (पाली), सोजत, बेगूं, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबंगा, निम्बाहेडा, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, नीम का थाना, विराटनगर, मुकुन्दगढ़, फुलेरा, भीनमाल, सुमेरपुर, बिलाड़ा, मांगरोल, भीण्डर, आमेट, बड़ी सादड़ी, सांभर लेक, राजगढ़ (चुरू), परबतसर, खैरथल एवं कपासन।

15/06/2015
(आर..के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति

(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

बैठक उपस्थिति

नगर निगम/परिषद/पालिका से सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डीएलबी/एसटीपी/एसएलसी/सीलू/14/01 दिनांक 11.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 को सभागार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	नाम निकाय
1.	श्री पुरूषोत्तम बियानी	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
2.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	वरिष्ठ नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
3.	एस.एल. सेठी	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर
4.	ओ.पी. पारीक	वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन, जयपुर
5.	एस. ~~दनवते~~ दडवते	वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
6.	शशिकान्त	वरिष्ठ नगर नियोजक, अलवर
7.	अरविन्द सिंह कानावत	उप नगर नियोजक उदयपुर जोन
8.	मुकेश जांगिड़	सहायक नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
9.	सुनिल चौहान	सहायक नगर नियोजक, जोधपुर
10.	सुरेश कुमार जैन	सहायक नगर नियोजक, न.प. बून्दी
11.	भूपेन्द्र कुमार	सहायक नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
12.	श्रवण बिश्नोई	कमिश्नर,नगर परिषद, हनुमानगढ
13.	प्राहलाद रवि वर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. कपासन
14.	दिलीप शर्मा	आयुक्त, गंगापुर सिटी
15.	मोहन चन्द बंसल	आयुक्त, न.प. दोसा
16.	राम सिंह पालावत	न.प. पाली
17.	ओम प्रकाश शर्मा	न.पा. रतनगढ़
18.	ललित सिंह देया	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. निम्बाहेड़ा
19.	पूजा मीणा	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, फुलेरा
20.	रविन्द्र जैन	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. रायसिंहनगर
21.	भसमा राम जैन	कमिशनर एच.पी. डीपीआर
22.	गुरदीप सिंह	अधिशाषी अधिकारी न.पा पीलीबंगा
23.	नरेश कुमार राठोर	अधिशाषी अधिकारी, बेंगू
24.	करणी सिंह सौदा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. आमेट
25.	आलोक चौधरी	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सादुलशहर
26.	अजय सिंह ढाकड़	सहायक अभियन्ता, नगर पालिका, रावतसर
27.	दीपक मीणा	सहायक अभियन्ता, नगर निगम, नाथद्वारा
28.	ममता नागर	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. शाहपुरा
29.	हरिनारायण यादव	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सांभर
30.	नवरतन शर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. चाकसू
31.	सोहनलाल	न.पा. श्रीकरणपुर
32.	शैलेन्द्र गोयल	न.पा. पदमपुर
33.	रूपसिंह चौहाण	एलडीसी, न.प. राजसमन्द
34.	सोम मिश्रा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा, सादड़ी
35.	नारायण दान	सहायक अभियन्ता, न.पा. सोजत
36.	जगदीश लाल	एलडीसी, न.पा. सोजत
37.	मोहन सिंह भाटी	कनिष्ठ लिपिक, न.पा. बड़ी सादड़ी
38.	गणपत लाल खटीक	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. गंगापुर (भीलवाड़ा)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 50/डीएलबी/एसटीपी/केटीजेड/मांगरोल

	शहर कस्बे का नाम	मांगरोल
1.	आवेदक का नाम	श्री यमुना शिक्षा एवं जन सेवा समिति
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम मांगरोल के खसरा नं0 1035/1 व 1036/5036 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टर (5600 वर्गमीटर)
3.	क्षेत्रफल	0.56 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंन्त्रण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मांगरोल के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि मांगरोल नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण पट्टी में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 19.10.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। भूमि मांगरोल से सिसवाली जाने वाली सड़क के उत्तर में एक खसरा को छोड़कर स्थित है तथा संलग्न साईट प्लान अनुसार आवेदित स्थल के पूर्व दिशा में 60 फीट सडक दर्शाई गई है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मांगरोल ने दिनांक 28.01.11 को दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में आपत्ति सूचना प्रकाशित करवाई गई, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मांगरोल ने भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 10.10.14 परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने बाबत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि मांगरोल से सिसवाली जाने वाली सड़क के उत्तर में एक खसरा को छोड़कर स्थित है तथा संलग्न साईट प्लान अनुसार आवेदित स्थल के पूर्व दिशा में 60 फीट सडक दर्शाई गई है। अतः 60 फीट सडक की सुनिश्चिता स्थानीय स्तर पर की जानी होगी। 2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मांगरोल तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 51/डीएलबी/एसटीपी/केटीजेड/गंगापुरसिटी

	शहर कस्बे का नाम	गंगापुरसिटी
1.	आवेदक का नाम	राजस्थान आवासन मण्डल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम खानपुर बडौदा के खसरा नं0 130 से 169, 160/1117, 160/1118, 1177/1108, 164/1171, 362 से 392, 363/1110, 374/1133, 404 से 450 एवं 455 रकबा 58.77 है0
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 58.77 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुरसिटी के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि मांगरोल नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2016 में परिधि नियन्त्रण पट्टी में दर्शित है। मास्टर प्लान–2016 दिनांक 05.12.2000 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि मुख्य हिण्डोन सडक एवं हिण्डोन को करौली से जोडने वाली लिंक बाई पास सडक पर स्थित है। वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा हिण्डोन सडक एवं करौली सडक तथा तथा हिण्डोन सडक को करोली सडक से जोडने वाली लिंक सडक का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित किया गया है। तथा उपरोक्त तीनों सडकों के मार्गाधिकार छोडने के उपरान्त मास्टर प्लान में 100 फीट चौडी वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान राजस्थान आवासन मण्डल की योजना में रखे जाने की अभिशंषा की गई है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुर सिटी ने परिधि नियंन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
3. सार्वजनिक आपत्ति राज्य स्तरीय समाचार पत्र में दिनांक 22.06.12 (पृष्ठ 102/सी) को प्रकाशित कराई गई। जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 10.08.12 में परिधि नियन्त्रण पट्टी एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 28.10.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियंन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियंन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि हिण्डोन सडक एवं करौली सडक तथा तथा हिण्डोन सडक को करोली सडक से जोडने वाली लिंक सडक का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित किया गया है। तथा उपरोक्त तीनों सडकों के मार्गाधिकार छोडने के उपरान्त मास्टर प्लान में 100 फीट चौडी वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान राजस्थान आवासन मण्डल की योजना में रखा जाना होगा।
2. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
3. योजना में अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी–2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 1000 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी राजस्थान आवासन मण्डल की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

	9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुरसिटी तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 52/डीएलबी/एसटीपी/केटीजेड/बून्दी

	शहर कस्बे का नाम	बून्दी
1.	आवेदक का नाम	श्री हेमराज मीणा पुत्र श्री लोडक्या मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बहादुरपुरा के खसरा नं0 133 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 11 बिस्वा
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2033)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंन्त्रण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि बून्दी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण पट्टी में दर्शित है। मास्टर प्लान–2033 दिनांक 08.02.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि से बून्दी से माटून्डा को जाने वाली प्रमुख सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट है। प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर साबुन उद्योग लगाना चाहता है। 2. सार्वजनिक आपत्ति राज्य स्तरीय समाचार पत्रो जन नायक एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 05.04.13 (पृष्ठ 33–34/सी) को प्रकाशित कराई गई। जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी के द्वारा प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई हैं 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 22.08.2013 द्वारा प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की राय दी गई।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. प्रश्नगत भूमि से बून्दी से माटून्डा को जाने वाली प्रमुख सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट है। अतः सड़क के केन्द्र से 50 फीट में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। 2. उद्योग स्थापित किये जाने से पूर्व उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 4. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 5. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 6. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक